

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: ई-20/म0स्वा0कार्य0/A/2019/536

दिनांक:- 18/03/2019

आदेश

निम्नांकित महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता/अतिरिक्त महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (जीएनएम प्रशिक्षणार्थी) का उनकी स्वयं की प्रार्थना पर आर.एस.आर. नियम-112 के तहत उनके नाम के सम्मुख अंकितानुसार अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया जाता है:-

क्र० सं०	कार्मिका का नाम	पदस्थापन स्थान	अवकाश अवधि
1	श्रीमती रोत टीनाबहन	खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बाली, जिला पाली	निदेशालय के आदेश क्रमांक 273 दिनांक 02.03.2016 (क्रम संख्या 10 पर अंकित) द्वारा स्वीकृत अध्ययन अवकाश की निरन्तरता में 1. दिनांक 24.03.2018 से 22.09.2018 तक 183 दिवस का असाधारण अवकाश।
2	श्रीमती पूनम पटेल	उप स्वास्थ्य केन्द्र, झिझारडी सेक्टर कन्टालिया, खण्ड खारची, जिला पाली	1. दिनांक 14.04.2018 से 13.04.2020 तक 02 वर्ष का अध्ययन अवकाश। 2. दिनांक 14.04.2020 से 13.04.2021 तक 01 वर्ष का असाधारण अवकाश।
3	श्रीमती शान्ति भाखर	उप स्वास्थ्य केन्द्र, अर्जनपुरा, खण्ड कुदन, जिला सीकर	1. दिनांक 13.04.2018 से 12.04.2020 तक 02 वर्ष का अध्ययन अवकाश। 2. दिनांक 13.04.2020 से 10.08.2020 तक 120 दिवस का उपार्जित अवकाश। 3. दिनांक 11.08.2020 से 12.04.2021 तक 245 दिवस का असाधारण अवकाश।
4	श्रीमती संजू चौधरी	उप स्वास्थ्य केन्द्र, पाटनमान, खण्ड रामगढ़, जिला अलवर	1. दिनांक 28.12.2017 से 27.12.2019 तक 02 वर्ष का अध्ययन अवकाश। 2. दिनांक 28.12.2019 से 19.04.2020 तक 114 दिवस का उपार्जित अवकाश। 3. दिनांक 20.04.2020 से 27.12.2020 तक 252 दिवस का असाधारण अवकाश।
5	श्रीमती पूजा सोलंकी	उप स्वास्थ्य केन्द्र, बागावास, खण्ड सोजत सिटी, जिला पाली	1. दिनांक 28.12.2017 से 27.12.2019 तक 02 वर्ष का अध्ययन अवकाश। 2. दिनांक 28.12.2019 से 14.04.2020 तक 109 दिवस का उपार्जित अवकाश। 3. दिनांक 15.04.2020 से 25.04.2020 तक 11 दिवस का अर्द्धवैतनिक अवकाश। 4. दिनांक 26.04.2020 से 27.12.2020 तक 246 दिवस का असाधारण अवकाश।
6	श्रीमती राजकंवर	आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, धाकडी, खण्ड सोजत सिटी जिला पाली	1. दिनांक 25.05.2018 से 24.05.2020 तक 02 वर्ष का अध्ययन अवकाश। 2. दिनांक 25.05.2020 से 24.05.2021 तक 01 वर्ष का असाधारण अवकाश।

7	श्रीमती सन्तोष कुमारी	खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, फतेहपुर, जिला सीकर	1. दिनांक 11.04.2018 से 10.04.2020 तक 02 वर्ष का अध्ययन अवकाश। 2. दिनांक 11.04.2020 से 18.07.2020 तक 99 दिवस का उपार्जित अवकाश। 3. दिनांक 19.07.2020 से 16.10.2020 तक 90 दिवस का असाधारण अवकाश।
8	श्रीमती संगीता कच्छावा	उप स्वास्थ्य केन्द्र, सूपका, खण्ड डीडवाना, जिला नागौर	1. दिनांक 14.04.2018 से 13.04.2020 तक 02 वर्ष का अध्ययन अवकाश। 2. दिनांक 14.04.2020 से 11.08.2020 तक 120 दिवस का उपार्जित अवकाश। 3. दिनांक 12.08.2020 से 13.04.2021 तक 245 दिवस का असाधारण अवकाश।
9	श्रीमती सुरेश कुमारी	उप स्वास्थ्य केन्द्र, नसवारी, खण्ड लक्ष्मणगढ़, जिला अलवर	1. दिनांक 12.04.2018 का 01 दिवस का परिवर्तित अवकाश। 2. दिनांक 13.04.2018 से 12.04.2020 तक 02 वर्ष का अध्ययन अवकाश। 3. दिनांक 13.04.2020 से 10.08.2020 तक 120 दिवस का उपार्जित अवकाश। 4. दिनांक 11.08.2020 से 12.04.2021 तक 245 दिवस का असाधारण अवकाश।
10	श्रीमती सन्तोष	उप स्वास्थ्य केन्द्र, नेहराना, खण्ड नोहर, जिला हनुमानगढ़	1. दिनांक 27.12.2017 से 26.12.2019 तक 02 वर्ष का अध्ययन अवकाश। 2. दिनांक 27.12.2019 से 02.03.2020 तक 67 दिवस का उपार्जित अवकाश। 3. दिनांक 03.03.2020 से 24.04.2020 तक 53 दिवस का अर्द्धवैतनिक अवकाश। 4. दिनांक 25.04.2020 से 26.12.2020 तक 246 दिवस का असाधारण अवकाश।
11	श्रीमती सुमन	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जाखेड़ा, खण्ड डेगाना, जिला नागौर	1. दिनांक 12.04.2018 से 11.04.2020 तक 02 वर्ष का अध्ययन अवकाश। 2. दिनांक 12.04.2020 से 09.08.2020 तक 120 दिवस का उपार्जित अवकाश। 3. दिनांक 10.08.2020 से 08.10.2020 तक 60 दिवस का असाधारण अवकाश।
12	श्रीमती अनिता पाटीदार	उप स्वास्थ्य केन्द्र, बारा, खण्ड गिर्वा, जिला उदयपुर	1. दिनांक 14.04.2018 से 13.04.2020 तक 02 वर्ष का अध्ययन अवकाश। 2. दिनांक 14.04.2020 से 11.08.2020 तक 120 दिवस का उपार्जित अवकाश। 3. दिनांक 12.08.2020 से 13.04.2021 तक 245 दिवस का असाधारण अवकाश।
13	श्रीमती राजकुमारी	खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, धोरिमन्ना, जिला बाड़मेर	निदेशालय के आदेश क्रमांक 273 दिनांक 02.03.2016 (क्रम संख्या 01 पर अंकित) द्वारा स्वीकृत अध्ययन अवकाश की निरन्तरता में 1. दिनांक 23.03.2018 से 23.09.2018 तक 185 दिवस का असाधारण अवकाश।

14	श्रीमती सुनिता	उपकेन्द्र, बालेरा, खण्ड बाड़मेर, जिला बाड़मेर	<ol style="list-style-type: none"> दिनांक 11.09.2018 से 10.09.2020 तक 2 वर्ष का अध्ययन अवकाश। दिनांक 11.09.2020 से 08.01.2021 तक 120 दिवस का उपार्जित अवकाश। दिनांक 09.01.2021 से 10.09.2021 तक 245 दिवस का असाधारण अवकाश।
15	श्रीमती मनीषा व्यास	उपकेन्द्र, दूदाबेरी, खण्ड बाड़मेर, जिला बाड़मेर	<p>निदेशालय के आदेश क्रमांक 1090 दिनांक 18.07.2016 द्वारा स्वीकृत अध्ययन अवकाश की निरन्तरता में</p> <ol style="list-style-type: none"> दिनांक 25.03.2018 से 20.09.2018 तक 180 दिवस का असाधारण अवकाश।
16	श्रीमती सुमिता	उपकेन्द्र उण्डखा, खण्ड बाड़मेर, जिला बाड़मेर	<ol style="list-style-type: none"> दिनांक 10.09.2018 से 09.09.2020 तक 02 वर्ष का अध्ययन अवकाश। दिनांक 10.09.2020 से 07.01.2021 तक 120 दिवस का उपार्जित अवकाश। दिनांक 08.01.2021 से 09.09.2021 तक 245 दिवस का असाधारण अवकाश।
17	श्रीमती मधुबाला	उपकेन्द्र पंवारियो का तला, खण्ड बाड़मेर, जिला बाड़मेर	<p>निदेशालय के आदेश क्रमांक 1170 दिनांक 04.11.2016 द्वारा स्वीकृत अध्ययन अवकाश की निरन्तरता में</p> <ol style="list-style-type: none"> दिनांक 13.04.2018 से 08.10.2018 तक 179 दिवस का असाधारण अवकाश।
18	श्रीमती प्रमोद कुमारी	उपकेन्द्र छोटु, खण्ड सिणधरी, जिला बाड़मेर	<p>निदेशालय के आदेश क्रमांक 1576 दिनांक 03.11.2016 (क्रम संख्या 03 पर अंकित) द्वारा स्वीकृत अध्ययन अवकाश की निरन्तरता में</p> <ol style="list-style-type: none"> दिनांक 13.04.2018 से 12.10.2018 तक 183 दिवस का असाधारण अवकाश।
19	श्रीमती रितू कुमारी	खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सेवर, जिला भरतपुर	<ol style="list-style-type: none"> दिनांक 12.04.2018 से 11.04.2020 तक 02 वर्ष का अध्ययन अवकाश। दिनांक 12.04.2020 से 25.07.2020 तक 105 दिवस का उपार्जित अवकाश। दिनांक 26.07.2020 से 09.08.2020 तक 15 दिवस का अर्द्धवैतनिक अवकाश। दिनांक 10.08.2020 से 11.04.2021 तक 245 दिवस का असाधारण अवकाश।
20	श्रीमती उषा रानी खीचड़	उपकेन्द्र गुड़ानाल, खण्ड सिवाना, जिला बाड़मेर	<p>निदेशालय के आदेश क्रमांक 1349 दिनांक 06.01.2017 द्वारा स्वीकृत अध्ययन अवकाश की निरन्तरता में</p> <ol style="list-style-type: none"> दिनांक 05.04.2018 से 06.10.2018 तक 185 दिवस का असाधारण अवकाश।
21	श्रीमती अशोकलता	उप स्वास्थ्य केन्द्र, तौलियासर, खण्ड झुझुनू, जिला झुझुनू	<p>निदेशालय के आदेश क्रमांक 285 दिनांक 07.02.2018 द्वारा स्वीकृत अध्ययन अवकाश की निरन्तरता में</p> <ol style="list-style-type: none"> दिनांक 11.04.2018 से 10.10.2018 तक 183 दिवस का असाधारण अवकाश।
22	श्रीमती कमला जाट	उप स्वास्थ्य केन्द्र, जुन्जाला (लूणसरा), खण्ड जायल, जिला नागौर	<p>निदेशालय के आदेश क्रमांक 962 दिनांक 25.08.2014 (क्रम संख्या 11 पर अंकित) द्वारा स्वीकृत अध्ययन अवकाश की निरन्तरता में</p> <ol style="list-style-type: none"> दिनांक 31.01.2016 से 02.10.2016 तक

23	श्रीमती गुलाब	उपकेन्द्र चीबी, खण्ड बायतू, जिला बाड़मेर	1. दिनांक 13.04.2018 से 12.04.2020 तक 02 वर्ष का अध्ययन अवकाश। 2. दिनांक 13.04.2020 से 10.08.2020 तक 120 दिवस का उपार्जित अवकाश। 3. दिनांक 11.08.2020 से 13.04.2021 तक 246 दिवस का असाधारण अवकाश।
24	श्रीमती सुमिता	उप स्वास्थ्य केन्द्र, रामपुरा, खण्ड मसूदा, जिला अजमेर	1. दिनांक 26.05.2018 से 25.05.2020 तक 02 वर्ष का अध्ययन अवकाश। 2. दिनांक 26.05.2020 से 22.09.2020 तक 120 दिवस का उपार्जित अवकाश। 3. दिनांक 23.09.2020 से 25.05.2021 तक 245 दिवस का असाधारण अवकाश।
25	श्रीमती सम्पत भाम्बी	उप स्वास्थ्य केन्द्र, उत्तमी, खण्ड मसूदा, जिला अजमेर	1. दिनांक 13.04.2018 से 12.04.2020 तक 02 वर्ष का अध्ययन अवकाश। 2. दिनांक 13.04.2020 से 10.08.2020 तक 120 दिवस का उपार्जित अवकाश। 3. दिनांक 11.08.2020 से 12.04.2021 तक 245 दिवस का असाधारण अवकाश।
26	श्रीमती संजू कुमारी	उप स्वास्थ्य केन्द्र, बरागना, खण्ड डीडवाना, जिला नागौर	1. दिनांक 13.04.2018 से 12.04.2020 तक 02 वर्ष का अध्ययन अवकाश। 2. दिनांक 13.04.2020 से 05.08.2020 तक 115 दिवस का उपार्जित अवकाश। 3. दिनांक 06.08.2020 से 14.01.2021 तक 162 दिवस का असाधारण अवकाश।
27	श्रीमती नीति शर्मा	उप स्वास्थ्य केन्द्र, कंवरपुरा, खण्ड गोविन्दगढ़, जिला जयपुर	1. दिनांक 11.04.2018 से 10.04.2020 तक 2 वर्ष का अध्ययन अवकाश। 2. दिनांक 11.04.2020 से 08.08.2020 तक 120 दिवस का उपार्जित अवकाश। 3. दिनांक 09.08.2020 से 10.04.2021 तक 245 दिवस का असाधारण अवकाश।

६-

(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: ई-20/म0स्वा0कार्य0/A/2019/536

दिनांक:- 18/05/2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी/प्रधानाचार्य, जीएनएम प्रशिक्षण केन्द्र को भेजकर लेख है कि आप अपने स्तर से आपके अधीन कार्यरत/अध्ययनरत संबंधित कार्मिका को उक्त स्वीकृति आदेश की प्रति उपलब्ध कराते हुए प्रकरण का नियमानुसार निस्तारण करें।
2. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
3. आदेश/रक्षित पत्रावली।

(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान, जयपुर